दर्ज

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद ,कोटा

क्रमांक–2023/अहमद 710 दिनांक–13/1/23

तहसीलदार,

तहसील सांगोद।

विषयः– इजराय संख्या 105/2023 उनवान शारदा बाई बनाम महावीर मुताबिक निर्णय पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं0 135/2022 उनवान शारदा बाई बनाम महावीर के न्यायालय में दिनांक 28/12/2022 को निर्णय–डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय डिक्री की छाया प्रति भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक 10/3/2023 से पूर्व पालना करना सुनिश्चित करें।

सलग्न–

निर्णय–डिक्री की छाया प्रति

उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

-:: न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::-
बईजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मिसल न0 135/2022

बउनवान

शारदाबाई पत्नी महावीर जाति मीना निवासी ग्राम घटाल तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादीनी–

बनाम

1. महावीर पुत्र राधेश्याम जाति मीना निवासी ग्राम घटाल तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

-- प्रतिवादीगण–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर टी एक्ट

उपस्थितिः–
वादीनी की ओर से :– श्री दशरथ सिंह एडवोकेट
प्रतिवादीन01की ओर से :– श्री धर्मराज नायक एडवोकेट
प्रतिवादीन02 की ओर से :– पैरोकार सरकार

दिनांकः– 28/12/2022

-:: निर्णय::-

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, कि वादीनी द्वारा इस न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया, कि वादीनी द्वारा जर्ये विक्रय विलेख दिनांक 28.4.2016 कमांक 2016000482 के द्वारा तत्कालीन खातेदार विक्रेता राधेश्याम पुत्र सुखदेव जाति मीना निवासी ग्राम घटाल तहसील सांगोद से उसके खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम घटाल पटवार हल्का मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स0 नई 66 के खसरा न0 50 की 0.05हेक्टर, खसरा न0 66 की 0.17 हेक्टर, खसरान0 67 की 0.26हेक्टर, खसरा न0 195/570 की 0.65 हेक्टर, खसरा न0 264 की 0.36हेक्टर, खसरा न0 265 की 0.38हेक्टर, खसरा न0 474 की 0.01हेक्टर, खसरा न0 475 की 3.80हेक्टर, खसरा न0 476 की 1.89 हेक्टर, कुल 9 किता की कुल 7.57हेक्टर आराजी मे निहित 1/6हिस्से का 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी का 1/12 हिस्सा आराजी कय की थी, जिसका विकय विलेख उपपंजीयन कार्यालय सांगोद मे उपस्थित होकर तत्कालीन खातेदार स्व0 राधेश्याम प्रतिवादीन01 के पिता द्वारा पंजीयन करवा दिया है, और विकीत हिस्सा आराजी का कब्जा मौके पर जाकर मौके पर जाकर केता को उसी समय भली प्रकार संभला दिया है, जिस पर वक्त खरीद से वादीनी आज दिन तक काबिज काश्त है। उक्त वर्णित आराजीयात विकय विलेख पंजीयन करवाते समय यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा दरा के रहन दर्ज थी, जिस

NOTARY RAMESH KUMAR SHARMA NOTARY (Central) ... OF INDIA

True Copy Attested
RAMESH KUMAR SHARMA
NOTARY (CEN) RAJ SANGOD
DISTT. KOTA (RAJ.)

सत्यप्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

कारण से वादीनी के हक मे विक्रय विलेख के आधार पर इन्तकाल नही खुल सका, इसी दौरान तत्कालीन खातेदार प्रतिवादीन01 के पिता राधेश्याम जी का स्वर्गवास दिनांक 19.1. 2019 को हो गया। जिसके बाद प्रतिवादीन01 द्वारा उक्त आराजी मे फौती इन्तकाल स0 291 दिनांक 6.5.2019 खुलवा लिया गया, जिसके आधार पर उक्त आराजी प्रतिवादी न01 के खाते दर्ज हो गई।वादीनी को उक्त आराजी रहन मुक्त होने के बाद आराजी का इन्तकाल खुलवाने हेतु पटवारी हल्का महोदय से अनुरोध किया, तो उक्त आराजी प्रतिवादी न01 के खाते दर्ज हो जाने से इन्तकाल खोलने से मना कर दिया, तथा पटवारी हल्का महोदय द्वारा माननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहकर इन्तकाल खोलने से मना कर देने से वादीनी के लिए उक्त इन्तकाल न0 291 को विक्रय विलेख के आधार पर शून्य प्रभावी घोषित करवाने व विक्रीत आराजी की अपने हक मे घोषणा करवाने के लिए माननीय न्यायालय मे उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है, साथ ही उक्त वाद पत्र की मद न01 मे वर्णित आराजी की दो जमाबन्दी बनने की जानकारी भी प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्तमान नकल जमाबन्दी का विवरण

अ. माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हेक्टर
घटाल	नई 65	265	0.38हेक्टर
		474	0.01हेक्टर
		475	3.80हेक्टर
		476	1.89हेक्टर
		50	0.05हेक्टर
		66	0.17हेक्टर

कुल 6 किता की 6.30हेक्टर मे प्रतिवादीन01 का 4/63हिस्सा

ब. माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हेक्टर
घटाल	64नई	195/570	0.65हेक्टर
		264	0.36हेक्टर
		67	0.26हेक्टर

कुल 3 किता की 1.27हेक्टर मे प्रतिवादीन01 का 1/6हिस्सा

तथा वाद कारण उक्त आराजी रहन मुक्त होने के बाद आराजी का इन्तकाल खुलवाने हेतु पटवारी हल्का महोदय से अनुरोध करने पर उक्त आराजी प्रतिवादी न01 के खाते दर्ज हो जाने से इन्तकाल खोलने से मना करने व माननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहने से वादीनी द्वारा माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया गया है।

NOTARY
FOR COPYING FEES ONLY
Copy Attested
9/1/23
(...ESH KUMAR SHARMA)
NOTARY ... SANGOD
DISTT. KOTA
...प्रतिलिपि
...अधिकारी
सांगोद (कोटा)

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई, तथा प्रतिवादी न01 की ओर से वकील श्री धर्मराज नायक द्वारा वादीनी के वाद का समर्थन करते हुए अपनी ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत किया गया। तथा वादीनी का वाद स्वीकार कर डिकी किये जाने की प्रार्थना की। और प्रतिवादी न02 पैरोकार सरकार बावजूद सूचना कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया,जिससे प्रतिवादीन02 का जवाब बन्द किया गया। तथा पत्रावली मे बहस वादी प्रस्तुत की गई, जिसमे वादी के वकील द्वारा बहस मे वाद के बिन्दुओ को दौहराया गया, तथा जिसके बाद पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेज व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर हम वादीनी के वाद को स्वीकार किये जाने योग्य मानते है, जिससे वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादीनी द्वारा जर्ये विकय विलेख दिनांक 28.4.2016 कमांक2016000482 के द्वारा तत्कालीन खातेदार विकेता राधेश्याम पुत्र सुखदेव जाति मीना निवासी ग्राम घटाल तहसील सांगोद के आधार पर प्रतिवादी न01 महावीर के खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम घटाल पटवार हल्का मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स0 नई 65 के खसरा न0 265, 474, 475, 476, 50,66 कुल 6 किता की 6.30हेक्टर मे प्रतिवादीन01 का 4/63हिस्सा व खाता स0 नई 64 के खसरा न0 195/570, 264,67 कुल 3 किता की 1.27हेक्टर मे प्रतिवादीन01 का 1/6हिस्से की आराजी का वादीनी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा उक्त घोषणा के अनुकम मे इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किये जाने के आदेश दिये जाते है, नियमानुसार डिकी पर्चा प्रथक से जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे।

(राजेश डागा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Attested
9/1/23
KUMAR SHARMA
(RAL) SANGOD
KOTA (RAJ)

निर्णय आज दिनांक 28/12/2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्य प्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

(राजेश डागा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई
आर. रूल्स 6–7 जाब्जा दीवानी

निर्णय बईजलास श्री राजेश डागा(आर ए एस) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
मिसल न0135/2022
तारीख दायरा:– 10.11.2022

बउनवान
शारदाबाई पत्नी महावीर जाति मीना निवासी ग्राम घटाल तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
– वादीनी–

बनाम

1. महावीर पुत्र राधेश्याम जाति मीना निवासी ग्राम घटाल तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रतिवादीगण–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर टी एक्ट

दिनांकः– 28/12/2022

आज यह मुकदमा वास्ते मिसाल कतई मुझ श्री राजेश डागा(आर ए एस) व हाजरी श्री दशरथ सिंह एडवोकेट वादीनी, एवं श्री धर्मराज नायक अधिवक्ता प्रतिवादी न01 मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री ....मिन मुद्दायल पेश होकर आदेश दिया जाता है किः– वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादीनी द्वारा जर्ये विक्रय विलेख दिनांक 28.4.2016 क्रमांक2016000482 के द्वारा तत्कालीन खातेदार विक्रेता राधेश्याम पुत्र सुखदेव जाति मीना निवासी ग्राम घटाल तहसील सांगोद के आधार पर प्रतिवादी न01 महावीर के खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम घटाल पटवार हल्का मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स0 नई 65 के खसरा न0 265, 474, 475, 476, 50,66 कुल 6 किता की 6.30हेक्टर मे प्रतिवादीन01 का 4/63हिस्सा व खाता स0 नई 64 के खसरा न0 195/570, 264,67 कुल 3 किता की 1.27हेक्टर मे प्रतिवादीन01 का 1/6हिस्से की आराजी का वादीनी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है।

True Copy Attested
9/1/23
(RAMESH KUMAR SHARMA)

सत्य प्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

(राजेश डागा)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद